मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 8, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. मुख्यमंत्री कार्यकाल के 6 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री रामलखन सिंह, सदस्य द्वारा बधाई दी गई तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से बधाई दी गई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 142 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया में पेयजल योजना का कार्य न होने,
(2) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के ग्राम खिरहनी में जल निकासी के कारण धान की फसल सड़ने,
(3) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की इंदौर-खण्डवा राजमार्ग का कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण न करने,
(4) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थित न होने,
(5) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य की मैहर के ग्राम गोवरी के स्कूल का उन्नयन न होने,
(6) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की सतना जिले के कहवारी स्कूल में प्राचार्य की गलत नियुक्ति होने,
(7) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की सतना जिले की रामपुर बघेलान तहसील में भूमि पर बेजा कब्जा होने,
(8) श्री भैयाराम पटेल, सदस्य की तेंदूखेड़ा में कोषालय खोले जाने,
(9) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया में हैंण्डपम्प खराब होने तथा
(10) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य की भोपाल शहर के तुलसीनगर में नाली निर्माण का काम घटिया स्तर का होने
संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने सिवनी जिले की जनपद केवलारी में जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नारायन सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री के.पी. सिंह तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण ने शिवपुरी जिले की कृषि उपज मण्डी, पिछोर की भूमि पर अतिक्रमण होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से, श्री उमंग सिंघार, सदस्य को नवम्बर-दिसम्बर, 2011 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की विकास कार्यों संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती उमा देवी खटीक (जिला-दमोह)
(2) श्री ताराचन्द बावरिया (जिला-छिंदवाड़ा)
(3) श्री राजकुमार उरमलिया (जिला-रीवा)
(4) कु. विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(5) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी (जिला-सागर)
(6) श्रीमती पन्ना बाई प्रजापति (जिला-रीवा)
(7) श्री देवी सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(8) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी (जिला-राजगढ़)
(9) श्री गौतम टेटवाल (जिला-राजगढ़)
(10) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा (जिला-देवास)
(11) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार (जिला-कटनी)
(12) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगौन)
(13) श्री रोडमल राठौर (जिला-उज्जैन)
(14) श्री रामदयाल अहिरवार (जिला-छतरपुर)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 36 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 37 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 38 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 44 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(5) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 45 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(6) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2011 (क्रमांक 46 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

9. मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ...(क्रमशः)

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत, मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर दिनांक 28 नवम्बर, 2011 को प्रारम्भ हुई चर्चा के क्रम में डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया तथा निम्नलिखित सदस्यों / मंत्रियों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(7) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री

(अपराह्न 1.01 से 2.33 बजे तक अन्तराल)

(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(9) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री
(10) श्री यादवेन्द्र सिंह
(11) श्री शंकरलाल तिवारी
(12) श्री रामनिवास रावत
(13) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
(14) श्री बालाराम बच्चन
(15) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा
(16) डॉ. कल्पना परूलेकर

(व्यवधान के बीच, सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यगण खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा एक फोटो का प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य को चर्चा हेतु अधिक समय देने की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर वापस अपने आसन पर गए।)

(17) श्रीमती नीता पटैरिया
(18) श्रीमती साधना स्थापक
(19) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री
(20) श्री राजकुमार उरमलिया
(21) श्री के.पी. सिंह
(22) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(23) श्री जितु जिराती
(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 9.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 9, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 29 नवम्बर, 2011

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजातियों आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-